

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (31.03.2020 को)

क्र.स.	विवरण	टिप्पणियाँ												
1	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन तथा सीएसआर नीति के लिए वेब-लिक का संदर्भ शामिल है।	कंपनी को अभी अपने वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने हैं और इसकी कुल आय अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज) से ही है। यद्यपि कंपनी ने सीएसआर नीति को लागू किया हुआ है। वेबसाइट का वेबलिक: www-ncrtc-in है।												
2	सीएसआर समिति का गठन	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>सदस्य का नाम</th> <th>पद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>सुश्री अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>श्री दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>श्री पीयूष अग्रवाल रेल मंत्रालय के नामित निदेशक</td> <td>सदस्य</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	सदस्य का नाम	पद	1	सुश्री अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	2	श्री दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य	3	श्री पीयूष अग्रवाल रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य
क्र.स.	सदस्य का नाम	पद												
1	सुश्री अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष												
2	श्री दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य												
3	श्री पीयूष अग्रवाल रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य												
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	3,14.74 लाख रूपए												
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (राशि का 2% जिसे ऊपर मद संख्या 3 में दिखाया गया है।)	कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करे, क्योंकि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंडों में तत्काल आने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 के दौरान सीएसआर योगदानों के लिए किसी भी मानक की पूर्ति नहीं करती है।												

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

- (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि – रु 3,14,81,67/-*
- (यह पिछले वर्षों के सीएसआर की बिना व्यय की गयी राशि का संचित शेष है)

(ख) 31.03.2020 को यदि कोई राशि शेष है तो: रु. 3,14,81,67/-। हालाँकि, दिनांक 03.04.2020 तक 30 लाख रूपए का भुगतान प्रधानमंत्री देखभाल निधि/प्राइममिनिस्टर रिलीफ फंड को किया गया है और शेष 14,81,67 व्यय नहीं किया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि नीचे दी गई है

क्र.स.	पहचानी गयी सीएसआर परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना को सम्भलित किया गया है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम आयोजित किए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उपमद: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्ट की गयी अवधि तक एकत्र हुआ व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
							शून्य

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी भाग के औसत शुद्ध लाभ के 2% को व्यय करने में विफल रही है तो, कंपनी अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करेगी –

क) कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ के अंतर्गत सीएसआर प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में, जिसे कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 के सम्बन्ध में पढ़ा जाए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय करे, क्योंकि वह तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष 2018-19 के सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट निम्न मानदंडों में से किसी की भी पूर्ति नहीं करती है।

– पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य
– एक हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक का कारोबार
– पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक का शुद्ध लाभ

ख) दिनांक 31.03.2019 को 3,14,81,67/- रुपये की बिना व्यय की गयी राशि शेष थी। बोर्ड ने दिनांक 13.03.2020 को आयोजित अपनी 22 वीं बैठक में यह विचार किया कि 3,14,81,67/- रुपये की राशि को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केवल प्राथमिकता

अनुभाग में निर्माण कार्य शुरू किया है। अन्य वर्गों में सिविल कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था और इसे जुलाई अगस्त 2020 तक अंतिम रूप दिया जाना है।

ग) पूरे भारत में नावेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे एक महामारी के रूप में घोषित किए जाने और परिपत्र संख्या 05.01.2019-सीएसआर दिनांक 23.03.2020 तथा ईएफ संख्या CSR-05/1/2020/CSR-MC। दिनांक 28.03.2020 के अनुपालन में, कंपनी की सीएसआर समिति ने सीएसआर गतिविधियों के लिए किए गए भुगतान के लिए आपात स्थिति निधि में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स फंड) को 3,00,00,00 रूपए की राशि दी और इसका भुगतान दिनांक 03.04.2020 को किया गया।

घ) सीएसआर की शेष राशि जिसे खर्च नहीं किया गया है, अर्थात् 14,81,67/- रूपए, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2020-2021 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए ले जाया गया है।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन – सीएसआर यह स्पष्ट बताती है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी को कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में किया जा रहा है।

ह./-

सुश्री अर्चना अग्रवाल

अध्यक्ष, सीएसआर समिति, एनसीआरटीसी

डीआईएन: 02105906

दिनांक: 25.09.2020

स्थान: नई दिल्ली

ह./-

विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06497700